



केन्द्रीय विद्यालय संगठन
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN
क्षेत्रीय कार्यालय / BHOPAL REGION

E-Mail : admn-bhopal@kvs.gov.in

Phone : 2550728 (DC)
2551678 (AC/FO)
2551699 (AC/AO)
Fax : 0755-2553126

Opp. Maida Mills,
Bhopal – 462 011.

फा 140333/2020-21/केविसं/भोपाल 3634-3703

दिनांक 01-04-2021

मेल द्वारा/स्पीड पोस्ट

समस्त प्राचार्य,
केन्द्रीय विद्यालय
भोपाल संभाग ।

विषय:- सत्र 2021-22 में केन्द्रीय विद्यालयों की स्टाफ स्ट्रेन्थ (कक्षाओं के बढ़ाने एवं घटाने) के संबंध में।

महोदया/महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत केन्द्रीय विद्यालय संगठन, मुख्यालय नई दिल्ली के पत्र संख्या फा 110333/2021-22/केविसं(मु0)/शैक्षिक/भोपाल/7559 दिनांक 31/03/2021 (छाया प्रति संलग्न) के द्वारा सत्र 2021-22 हेतु केन्द्रीय विद्यालयों की स्टाफ स्ट्रेन्थ (कक्षाओं के बढ़ाने एवं घटाने) की अनुमति आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है ।

इस संबंध में लेख है कि मुख्यालय द्वारा प्रोफॉर्मा A और प्रोफॉर्मा B में चाही गई समेकित जानकारी क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर तैयार की जा रही है ।

भ व दी य

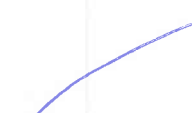
संलग्न:- यथोपरि


(सोमित श्रीवास्तव)

उपायुक्त

प्रतिलिपि:-

- 1- समस्त सहायक आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल को सूचनार्थ प्रेषित ।
- 2- वित्त अधिकारी, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल को सूचनार्थ प्रेषित ।


उपायुक्त



केन्द्रीय विद्यालय संगठन/Kendriya Vidyalaya Sangathan
शहीद जीत सिंह मार्ग / Shaheed Jeet Sing Marg
18, संस्थागत क्षेत्र / 18, Institutional Area
नई दिल्ली / New Delhi-110016
Tel: 26858566, Fax No. 26514179
Website: www.kvsangathan.nic.in

फ.110333/2021-22/के.वि.सं.(मु.)/शैक्षिक/भोपाल/7559 दिनांक: 31.03.2021

उपायुक्त

केन्द्रीय विद्यालय संगठन

भोपाल संभाग (Bhopal Region)

विषय: सत्र 2021-22 में केन्द्रीय विद्यालयों की स्टाफ स्ट्रेन्थ (कक्षाओं के बढ़ाने एवं घटाने) के संबंध में।

महोदया/महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या फा.सं. 140333/2020-21/के.वि.सं./भोपाल/30305 एवं 2290 क्रमशः दिनांक 18.12.2020 एवं 26.02.2021 के संदर्भ में अवगत कराना है कि आपके द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर विचार के उपरान्त सक्षम अधिकारी द्वारा निम्नलिखित केन्द्रीय विद्यालयों में सेक्शन बढ़ाने एवं घटाने की अनुमति सत्र 2021-22 से प्रदान की जाती है।

क्र.सं.	के.वि. का नाम	सत्र 2021-22 के लिए कक्षाएँ/सेक्शन बढ़ाने/घटाने की अनुमति
1	Ambah	Closed class-III and sanctioned one section in class-X.
2	Betul	Sanctioned 2 nd section each in class-III, IV, V and one section in class-XII(Com.). No other change.
3	Burhanpur	Sanctioned 2 nd section in class-IX.
4	Chanderi	Sanctioned one section in class-IX.
5	Dabra	Sanctioned one section in class-IX.
6	Datia	Sanctioned 2 nd section each in class-III, IV, V and one section in class-XII(Sc.).
7	Ganj Basoda	Sanctioned one section in class-IX.
8	Harda	Sanctioned one section in class-VI. Closed class-X.
9	No.2 BSF Indore	No change.
10	ITBP Karera	Sanctioned 2 nd section in class-VIII and one section in class-XII(Com.).
11	Multai	Sanctioned one section in class-IX.
12	Morena	Decreased one section in class-V and sanctioned 2 nd section in class-VII.
13	No.2 Neemuch	Sanctioned one section in class-IX.
14	Shajapur	Sanctioned 2 nd section each in class-IV, V and decreased one section in class-X.
15	Sheopur	Sanctioned 2 nd section each in class-IV & V. No other change.

[Handwritten signature]
11/4/21
50. *[Handwritten signature]*

16	BSF Tekanpur	Sanctioned 2 nd section in class-III, 3 rd section in class-X and one section each in class-XI(Sc.) & XI(Com.).
17	Tikamgarh	Decreased one section each in class-VII & IX.
18	Shamgarh	Sanctioned 2 nd section each in class-II, III, IV & V.
19	CRPF Nayagaon	Closed class-I and sanctioned one section in class-VII.
20	AgarMalwa	Sanctioned one section in class-VII.
21	Alirajpur	Sanctioned one section in class-VII.
22	IIT Indore	Sanctioned one section in class-VI.
23	No.1 Gwalior (2 nd Shift)	Sanctioned one section in class-VI.
24	No.1 OF Itarsi	No change.
		Decreased one section in class-X

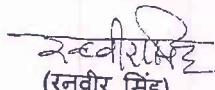
अन्य केन्द्रीय विद्यालयों के सेक्शनों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। कृपया संबन्धित उपायुक्त स्टाफ स्वीकृति हेतु, स्टाफ स्वीकृति के मानदंडों के अनुसार पूर्णतः जांच कर संतुष्ट होने के पश्चात ही निम्नलिखित दस्तावेज़ (Proforma-A & Proforma-B), निम्नलिखित प्रमाण पत्र (Certificate) के साथ इस कार्यालय को अग्रिम कार्रवाई हेतु अविलंब प्रेषित करें।

"It should further be certified that the calculations are strictly as per staffing norms and there is no deviation."

1. समेकित प्रोफॉर्मा-A (Consolidated Proforma-A)- duly signed by the Deputy Commissioner of the Region.
2. आपके संभाग के अधीनस्थ समस्त केन्द्रीय विद्यालयों में स्टाफ स्वीकृति हेतु जारी किया जाने वाला Draft Proforma-B (Soft copy in Excel format).
3. इस पत्र के साथ संलग्न Excel Sheet में समेकित विवरण भी भरकर भेजें।

संबन्धित उपायुक्त व्यक्तिगत रूप से ध्यान दें एवं सुनिश्चित करें कि उपरोक्त डाटा/दस्तावेज़ जो के.वि.सं. मुख्यालय में भेजे जा रहे हैं वे पूर्णतः सही हैं।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय

 (रनवीर सिंह)
 उपायुक्त (शैक्षिक)